अनुसूची 1
[विनियम 5(1)(i) देखें]

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना- एनआरई खाता

1. पात्रता
अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) को प्राधिकृत व्यापारियों तथा ऐसे खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) में खाते खोलने और बनाये रखने के लिए अनुमति दी गई है।

अनिवासी भारतीय द्वारा स्वयं, न कि भारत में उसके अटर्नी अधिकार धारक द्वारा, खाता खोला जाना चाहिए।

2. खातों के प्रकार

खाते किसी भी रूप में, अर्थात बचत, चालू, आवर्ती अथवा सावधि जमा खाते, आदि के रूप में खोले जा सकते हैं।

3. अनुमत जमा

ए) किसी भी अनुमत करेंसी में भारत में विप्रेषणगत आगम राशि।

बी) अपने विदेशी मुद्रा खाते पर खाताधारक द्वारा आहरित व्यक्तिगत चेक तथा यात्री चेकों की राशि, भारतीय रुपये में अभिव्यक्ति ऐसे लिखतों जिनकी प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में की जायेगी सहित अनुमत करेंसी में देय बैंक ड्राफ्ट, भारत में अपने अस्थायी दौरे के दौरान खाताधारक द्वारा स्वयं जमा की गई राशि, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी/बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि खाताधारक अब भी भारत से बाहर रह रहा है, यात्री चेक/ड्राफ्ट खाताधारक के नाम में/ पृष्ठांकित हैं तथा यात्री चेक के मामले में वे भारत के बाहर जारी किये गये थे।

सी) भारत में अस्थाई दौरे के दौरान खाताधारक द्वारा विदेशी मुद्रा / बैंक नोटों की जमा की गई राशि, बशर्ते (i) जहां लागू हो वहां राशि की घोषणा करेंसी घोषणा फार्म में की गई थी, तथा (ii) खाताधारक ने स्वयं प्राधिकृत व्यापारी को नोट प्रस्तुत किये हों और प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि खाताधारक भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति है।

डी) अन्य एनआरई / एफसीएनआर(बी) खातों से अंतरण।

ई) खाते में धारित निधियों पर उपचित ब्याज।

एफ़) खातेधारक को भारत में प्राप्य चालू आय, बशर्ते भारत में लागू करों का भुगतान किया जाए।

जी) भारत में अनुमत निवेश की परिपक्वता अथवा बिक्रीगत आगम राशि जो खाताधारक के एनआरई/ एफ़सीएनआर (बी) खाते को नामे कर के अथवा बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से प्राप्त आवक विप्रेषण से मूल रूप में प्राप्त हुई हो।

बशर्ते कि ऐसे निवेश करते समय यथा लागू विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार निवेश किया गया हो।

एच) भारतीय कंपनियों के नये निर्गमों के शेयरों/डिबेंचरों में अभिदान की वापसी या उसका कोई हिस्सा, यदि अभिदान की राशि की अदायगी खाताधारक के उसी अथवा अन्य एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते में से अथवा बैंकिंग चैनल के जरिये भारत से बाहर से विप्रेषण द्वारा की गई हो।

आई) फ्लैट /प्लॉट के आबंटन न होने पर भवन निर्माता एजेंसियों / विक्रेताओं द्वारा आवेदन-राशि / अमानती राशि / खरीद प्रतिफल / आवासीय / वाणिज्यिक संपत्ति की बुकिंग / खरीद सौदे के रद्द होने पर ब्याज सहित, यदि कोई हो, धन-वापसी (उस पर देय आयकर के बाद शेष राशि), बशर्ते मूल भुगतान खाताधारक के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते में से अथवा बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से विप्रेषण द्वारा किया गया हो और प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हो ।

जे) अन्य कोई जमा यदि वह रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सामान्य अथवा विशेष अनुमति के अंतर्गत आती हो।

4. अनुमत नामे

ए) स्थानीय संवितरण।

बी) भारत से बाहर विप्रेषण।

सी) खाताधारक के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों अथवा ऐसे खाते रखने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति के खातों में अंतरण।

डी) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों / प्रतिभूतियों /वणिज्यिक पत्रों में निवेश अथवा भारत में अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश / क्रय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों अथवा सामान्य / विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो।

ई) अन्य कोई लेनदेन यदि वह रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य अथवा विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो।

5. ब्याज दर

इन खातों पर देय ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार होगी।

6. खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण

(1) खाताधारक को: ऐसे खाते रखने वाले प्राधिकृत व्यापारियों तथा बैंको को यह अनुमति दी गई है कि वे निम्नलिखित के लिए खाताधारक को भारत में ऋण दे सकते हैं:

ए) ऋण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :-

i) पुनः उधार देने अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को छोडकर व्यक्तिगत प्रयोजन अथवा कारोबारी गतिविधियों के लिए।
ii) भारतीय फर्मों / कंपनियों की पूंजी में अंशदान के रूप में गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश के लिए बशर्ते उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित संबन्धित विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हो ।
iii) अपने आवासीय उपयोग के लिए भारत में अर्जित फ्लैट/ मकान के लिए बशर्ते उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित संबन्धित विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हो ।

बी) अदायगी या तो जमाराशियों के समायोजन से या फिर बैंकिंग चैनल के जरिए भारत के बाहर से प्राप्त नये आवक विप्रेषणों अथवा उधारकर्ता के अनिवासी साधारण खाते में स्थानीय रुपया संसाधनों में से की जा सकती है।

(2) तीसरे पक्ष को: प्राधिकृत व्यापारी और प्राधिकृत बैंक भारत में निवासी व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एनआरई खाते में धारित सावधि जमाराशियों की संपार्श्विक जमानत पर ऋण प्रदान कर सकते हैं :

i) पुनः उधार देने अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को छोडकर, व्यक्तिगत प्रयोजन अथवा कारोबारी गतिविधियों के लिए।

ii) निवासी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को ऐसी सुविधाएं दिलाने के लिए अपनी जमाराशियों को गिरवी रखने हेतु सहमत होने वाले अनिवासी जमाकर्ता को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में विदेशी मुद्रा के रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होना चाहिए;

iii) व्यापार/उद्योग को दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में लागू सामान्य मानदंड तथा शर्तें इन ऋण सुविधाओं पर भी लागू होंगी।

(3) [6] भारत के बाहर ऋण- प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर स्थित अपनी शाखाओं/ प्रतिनिधियों को जमाकर्ता के अनुरोध पर वास्तविक प्रयोजन के लिए अनिवासी जमाकर्ता को अथवा उसके पक्ष में अथवा किसी तीसरे पक्ष को, भारत में धारित उसके एनआरई खातों में उपलब्ध निधियों की ज़मानत पर ऋण देने की अनुमति दे सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो बकाया राशि को चुकाने के लिए निधियों को भारत से विप्रेषित करने की भी सहमति दे सकते है।

(4) प्राधिकृत व्यापारी/बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम सावधि जमा राशियों से पूरी तरह सुरक्षित हों और सामान्य मर्जिन, ब्याज दर, आदि से संबन्धित विनियमों का पालन किया जाना चाहिए ।

(5) इस पैराग्राफ के अंतर्गत स्वीकृत ऋण उन निदेशों के अंतर्गत होंगे जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।

(6) "ऋण" शब्द में सभी प्रकार की निधि आधारित / गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल होंगी ।

7. खाताधारक की निवासी हैसियत में परिवर्तन होने पर

यदि खाताधारक भारत में रोजगार प्राप्त करने, व्यावसाय या कारोबार करने अथवा अनिश्चित काल तक भारत में रहने के इरादे से आता है, तो उसके भारत आते ही, उसके विकल्प पर, एनआरई खाते को निवासी खात में पुनर्नामित किया जाना चाहिए अथवा इन खातों में जमा निधियां आरएफसी खाते (यदि खाताधारक आरएफसी खाता खोलने के लिए पात्र हो) में अंतरित कर दी जानी चाहिए। जब खाताधारक थोड़े समय के लिए ही भारत के दौरे पर आया हो तो भारत में उसके रहने के दौरान भी खाते को एनआरई खाते के रूप में ही जारी रखा जाए।

8. अनिवासी नामिती को निधियों का प्रत्यावर्तन

प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक मृत खाताधारक के एनआरई खाते में पड़ी निधियों को उसके अनिवासी नामिती को विप्रेषित करने की अनुमति दे सकते हैं।

9. विविध

ए) संयुक्त खाताः निम्नलिखित मामलों में संयुक्त खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है:

i) दो अथवा अधिक अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) के नाम में

---

[6] 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी शुद्धिपत्र द्वारा जीएसआर 869 (ई) दिनांक 8 सितंबर, 2016 द्वारा जोड़ा गया। जोड़ने से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: *भारत से बाहर ऋण - प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर स्थित अपनी शाखाओं / प्रतिनिधि बैंकों को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे भारत में एनआरई खातों में धारित निधियों की जमानत पर तथा बकाया राशि की चुकौती के लिए यदि आवश्यक हो तो भारत से निधियां भेजने पर सहमति सहित वास्तविक प्रयोजनों के लिए जमाकर्ता के अनुरोध पर अनिवासी जमाकर्ता को अथवा तीसरे पक्ष को, पुनः उधार देने अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को छोडकर, ऋण दे सकते हैं।*

ii) निवासी रिश्तेदारों के साथ "प्रथम अथवा उत्तरजीवी" के आधार पर। हालांकि, ऐसा निवासी रिश्तेदार अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति(PIO) खाताधारक के जीवन काल के दौरान वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मुख्तारनामा धारक के रूप में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण : - इस विनियम के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार का तात्पर्य ऐसे रिश्तेदार से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित है।

बी) अस्थायी दौरे के दौरान खाता खोलनाः भारत में अस्थायी दौरे पर आये पात्र अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) के नाम में विदेशी मुद्रा यात्री चेक अथवा विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के प्रस्तुत किये जाने पर खाता खोला जा सकता है, बशर्ते, प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अनिवासी है।

सी) मुख्तारनामे द्वारा परिचालनः प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक एनआरई खाते का परिचालन मुख्तारनामे की शर्तों अथवा अनिवासी खाताधारक द्वारा निवासी के पक्ष में दिये गये अन्य प्राधिकार के अनुसार करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के परिचालन स्थानीय भुगतानों के लिए राशि के आहरण अथवा बैंकिंग चैनल से स्वयं खाताधारक को विप्रेषण करने तक सीमित हों। ऐसे मामलों में जहां खाताधारक अथवा उसके द्वारा नामित बैंक भारत में निवेश करने के लिए पात्र हो, मुख्तारनामा धारक को ऐसे निवेश के लिए खाते में से राशि निकालने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी/ बैंक द्वारा दी जा सकती है। हालांकि, निवासी मुख्तारनामा धारक को किसी भी परिस्थिति में खाते में धारित राशि को स्वयं खाताधारक के सिवाय भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने अथवा खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के जरिये भुगतान करने अथवा किसी अन्य एनआरई खाते में निधियां अंतरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

डी) चेकों की विशेष श्रृंखलाः एनआरई खातों पर आहरित चेकों की आसानी से पहचान करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों / बैंको को एनआरई खाताधारकों को विशेष श्रृंखला वाली चेकबुक जारी करनी चाहिए।

ई) अस्थायी अधि-आहरणः प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक अपने विवेकानुसार / वणिज्यिक निर्णयानुसार एनआरई बचत बैंक खाते से 50,000/- रुपये तक की राशि दो सप्ताहों से अनधिक अवधि के लिए अधि-आहरण के तौर पर लेने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते उस पर ब्याज-सहित अधि-आहरण की राशि उक्त दो सप्ताह के भीतर बैंकिंग चैनल के जरिये आवक विप्रेषणों से अथवा अन्य एनआरई / एफसीएनआर(बी) खातों से अंतरित कर चुका दी जाए।

एफ़) निवासी नामिती द्वारा विदेश में विप्रेषणः मृत खाताधारक की देयताएं, यदि कोई हों, की पूर्ति के लिए अथवा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर निधियां भेजने के लिए निवासी नामिती से प्राप्त आवेदन पत्र रिज़र्व बैंक के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।

जी) कर छूटः एनआरई खातों में जमा-शेष पर ब्याज से प्राप्त आय, आयकर से छूट प्राप्त है। इसी प्रकार इन खातों के जमा-शेष भी सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त हैं।

एच) रिपोर्टिंग : रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार इन खातों के लेनदेनों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की जायेगी ।